कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)

Employees' Provident Fund Organisation

(Ministry of Labour, Govt. Of India)

मुख्य कार्यालय/ Head Office

भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

संख्या: वित्त/1(1)/विविध/09/हवाई यात्रा/15443 दिनांक 15-6-2010

सेवा में,

श्री एन.ए. नायर,
राधा भवन, सहृदय अस्पताल के पीछे,
तातमपल्ली पोस्ट,
अलप्पुषा-688013,
केरल ।

विषय:- सरकारी दौरे हेतु निजी विमान सेवा द्वारा यात्रा करने के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी उपलब्ध कराना ।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय में दिनांक 4.6.2010 को प्राप्त अपने आवेदन दिनांक 01.6.2010 का अवलोकन करें जिसके अन्तर्गत सरकारी दौरे पर निजी विमान सेवा द्वारा यात्रा करने के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी मांगी गई थी ।

2. आपके द्वारा वांछित जानकारी निम्नलिखित है:

क्र. सं.	मांगी गई जानकारी	उपलब्ध कराई गई जानकारी
क)	टिप्पणियों एवं निर्णय की प्रति जिसके पश्चात् मुख्यालय का परिपत्र संख्या एफ आई एन/1(1)/विविध/09/ह.या./8088/287, दिनांक 14.5.2010	दिनांक 13.4.2010, 6.5.2010 तथा 13.5.2010 की टिप्पणियों की प्रतियां संलग्न हैं ।
ख)	कृपया बतायें कि क्या एयर इंडिया द्वारा हवाई यात्रा करने के संबंध में इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या एफ.19024/1/2009 -ई -IV दिनांक 13.7.2009 को अपनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशिष्ट निदेश जारी किये गये है, क्योंकि क.भ.नि.संगठन में हवाई यात्रा पर होने वाले व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा नहीं किया जाता ।	एयर इंडिया द्वारा यात्रा करने के संबंध में वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 19024/1/2009 -ई -IV दिनांक 13.7.2009 में दिये गये स्पष्टीकरण संलग्न हैं।
ग)	कृपया बतायें कि क्या इन निदेशों को अपनाने के लिए इन्हें केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त/कार्यकारी समिति/केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के समक्ष रखा गया क्योंकि क.भ.नि.संगठन यात्रा पर होने वाले व्यय का वहन भारत की समेकित निधि से नहीं करता ।	नहीं

घ)	कृपया मुझे उन अधिकारियों के नाम, पदनाम, यात्रा की तिथि, फ्लाईट का विवरण, यात्रा का वर्ग तथा टिकट पर किए गए खर्च की जानकारी उपलब्ध करायें जिन्होंने दिनांक 13.7.2009 से 14.5.2010 तक निजी विमान सेवा द्वारा देशभर के क.भ.नि.संगठन कार्यालयों का दौरा किया ।	संगठन की वेबसाईट पर दी गई सूचना द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार यह जानकारी संबंधित फील्ड कार्यालय तथा मुख्यालय के प्रशासन अनुभाग द्वारा सीधे आवेदक को उपलब्ध कराई जा रही है ।
ङ)	कृपया बतायें कि क्या आपके परिपत्र संख्या एफ आई एन /1 (1) / विविध / 09 / ह.या./ 8088 / 287, दिनांक 14.5.2010 में दिये गये निदेशों के अनुसार उपर्युक्त यात्राओं के संबंध में कोई वसूली की गई है ।	-- वही --
च)	कृपया विशेष तौर पर बतायें कि क्या उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार तब भी निजी विमान सेवा द्वारा यात्रा की अनुमति नहीं है जबकि उस क्षेत्र में एयर इंडिया की कोई फ्लाईट उपलब्ध नहीं है ।	कृपया क.भ.नि.संगठन की वेबसाईट पर उपलब्ध परिपत्र संख्या एफ आई एन/1(1)/विविध/09/ह.या./8088/287, दिनांक 14.5.2010 का अवलोकन करें ।
छ)	कृपया बताये कि क्या वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में क.भ.नि. के प्रशासकीय लेखे के लेखा सं. II में भारत की समेकित निधि से भारत सरकार द्वारा कोई सहायता अनुदान देय है अथवा दिया गया है ।	लेखा संख्या II में भारत सरकार द्वारा भारत की समेकित निधि से कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया ।
ज)	वे स्त्रोत जिनसे लेखा संख्या 2 में प्रशासकीय व्यय एकत्रित किया गया ।	कृपया क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई योजनाओं का अवलोकन करें ।

3. यह भी सूचित किया जाता है कि के.ज.सू.अधि. (वित्त) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उपर्युक्त प्रश्नों के संबंध में अपीलीय अधिकारी वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, क.भ.नि.संगठन, मुख्यालय, भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 है ।

भवदीय

अनुलग्नक : 01

(वी. श्यामसुन्दर)
के.ज.सू.अधि. (वित्त)/क्षे.भ.नि.आ.I(वि.एवं ले.)

प्रतिलिपि :

01. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी.) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस सूचना तथा उपर्युक्त आवेदक के पत्र दिनांक 01.6.2010 की प्रति संगठन की वेब वाईट पर अपलोड करें ।
02. सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त - I, तथा
03. सभी उप क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी (केवल वेबसाईट के माध्यम से) -- को उपर्युक्त आवेदक के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 01.6.2010 को दिये गये आवेदन की एक प्रति सहित सूचनार्थ । यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त **मद संख्या घ) एवं ङ)** के अन्तर्गत मांगी गई जानकारी सीधे उपर्युक्त आवेदक को दिनांक 30.6.2010 तक उपलब्ध कराई जाए तथा इसकी जानकारी इस कार्यालय को दी जाए ।

04. सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल), (केवल वेबसाइट के माध्यम से) -- को यह सुनिश्चित करने के लिए वे अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों से उपर्युक्त जानकारी हासिल करें ।

05. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (जन सूचना प्रभाग), मुख्यालय -- को सूचनार्थ ।

(वी. श्यामसुन्दर)
के.ज.सू.अधि. (वित्त)/क्षे.भ.नि.आ.I(वि.एवं ले.)